प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

5 days "Investigation of Organized Crime"

दिनांक **28-02-2022 से 05-03-2022**

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 28-02-2022 से 05-03-2022 तक **"Investigation of Organized Crime"** विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 30 प्रतिभागियों जिसमें 01 उप अधीक्षक पुलिस, 09 पुलिस निरीक्षक, 20 उप निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम सत्र में श्रीमती सीमा हिंगोनिया, सहायक निदेशक, (आउटडोर) आरपीए, जयपुर ने बाल तस्करी/मानव तस्करी और अपहरण के लिए कानूनी प्रावधान, नवीनतम केस स्टडी के साथ जांच कैसी होती के बारे में विस्तार से बताया। द्वितीय सत्र में डॉ आर एस शर्मा, (सेवानिवृत्त) एफएसएल जयपुर ने साक्ष्य संग्रह / संकलन और दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्य के संग्रह की कला के बारे में बताया। तृतीय सत्र में श्री शेखर सिंह, साईबर एक्पर्ट, जयपुर ने साइबर अपराध की जांच। OLX और क्विकर (मेवात क्षेत्र) के संदर्भ के बारे में बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र श्री संजीव भटनागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी एसएसबी, पुलिस मुख्याल जयपुर ने संगठित अपराध का अवलोकन: केस स्टडी के साथ विभिन्न अवधारणाएं, प्रकार और हालिया रुझान, विभिन्न आपराधिक गिरोह और उनके तौर-तरीके, राजस्थान में उभरते रुझान, अंतर्राज्यीय समन्वय। हथियारों की तस्करी/बंदूक चलाने के मामले का अध्ययन के बारे में बताया। तृतीय सत्र में श्री राकेश मोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक- जेल प्रथम ने जेल परिसर में संगठित अपराध "जेल से चल रहा क्राइम सिंडिकेट पर विस्तार से बताया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र में श्री ब्रजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसओजी, जयपुर ने भूमि धोखाधड़ी से संबंधित अपराध की जांच- केस स्टडी के साथ डबल पट्टा, जाली समझौते आदि के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में श्री गिरवर सिंह,आरटीएस (सेवानिवृत्त) ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम (टीपीए), मुख्तारनामा, वसीयत, रिकॉर्ड से छेड़छाड़

और संबंधित विवाद के बारे में बताया। तृतीय सत्र में श्री रमेश कुमार, पीओ, आरपीए, जयपुर ने गंभीर संगठित अपराधों में एफआईआर और अभियोजन। विभिन्न राज्यों में विभिन्न कानूनों का तुलनात्मक दृष्टिकोण, प्राथमिकी रद्द करने पर कानून के बारे में बताया।

चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में श्री चतुभुज शर्मा, एडीपी, आरपीए, जयपुर ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम। / एनडीपीएस अधिनियम, नशीली दवाओं के अपराध और सिंथेटिक दवाओं में उभरती प्रवृत्ति। बरी होने के प्रमुख कारण के बारे में विस्तार से बताया। द्वितीय सत्र में श्री करण शर्मा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर ने संगठित अपराध की केस स्टडी (आनंद पाल केस) के बारे में विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में श्री कपिल यादव, आईआरएस, डिप्टी डायरेक्टर, जयपुर ने पीएमएल अधिनियम, 2002 की जांच के बारे में बताया।

पंचम दिवस के प्रथम सत्र में श्री अशोक गुप्ता, उप महानिरीक्षक पुलिस, (**P&W**) पुलिस मुख्यालय, जयपुर ने हथियारों की तस्करी की जांच के बारे में बताया।

<u>नवाचार</u> ;- पांचवे दिवस पर अंतिम सत्र में प्रतिभागियो का प्रश्न पत्र के माध्यम से उनकी पांच दिवसीय प्रशिक्षण का परीक्षा ली गई एंव जानकारी प्राप्त की गई पांच दिवस में प्रतिभागियों द्वारा कोर्स के माध्यम से कितना सीखा या नही सीखा, साथ ही प्रत्येक कांलाश में प्रतिभागियों की उपस्थिति, अनुशासन, परस्पर क्रिया एवं सक्रियता की जांच हेतु प्रत्येक अतिथि वक्ता के माध्यम से फीडबैक भी प्राप्त किया गया। दोनो ही कार्यों से प्रतिभागियों की उपस्थिति, अनुशासन के साथ ही सीखने की प्रवृति मे सुधार दृष्टिगत हुआ। और चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र श्री अशोक गुप्ता, उप महानिरीक्षक पुलिस, के द्वारा वितरित किये गये। समापन सत्र के अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।